

23/4/19

प्राथी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सा.पा. सी. का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी होकर मिसाल दिनांक 22.5.19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

25/5/19

पक्षावली पेश हुई। वकील प्राथी उपर। वकील प्राथीने प्राप्त अन्तर्गत आदेश 9 (P) 4 CPC का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्राप्त का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि न्याय हिम प्राथी वकील का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित है। प्राथी वकील का प्राप्त अन्तर्गत आदेश 9 (P) 4 CPC का स्वीकार कर मूल प्राप्त सं- 108/2013 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसाल फसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नवी हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)